



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं० ए- 60011/42/2014/एचआरपीसी

23 जून, 2014

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/पूर्वोत्तर क्षेत्र,  
दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक,  
रेडियो निर्माण एवं विकास एकक/उड़ान निरीक्षण एकक,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,  
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कोलकाता /चेन्नई हवाई अड्डा  
प्रधानाचार्य,  
नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज,  
बमरौली, इलाहाबाद

निदेशक,  
भारतीय विमानन अकादमी,  
नई दिल्ली  
महाप्रबंधक  
सी आर एस डी/ई एण्ड एम वर्कशाप,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,  
नई दिल्ली

निगमित मानव संसाधन प्रबंधन परिपत्र सं.23/2014

**विषय:** सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ओ पी डी/डॉमिसाइल उपचार के लिए वार्षिक अधिकतम सीमा में संशोधन ।

दिनांक 20.4.2011 के मा.स.प्र. परिपत्र सं. 15/2011 का संदर्भ लें जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ओ पी डी/डॉमिसाइल उपचार के लिए अधिकतम वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है ।

2 ओ पी डी/डॉमिसाइल उपचार के लिए वार्षिक सीमा की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 01-01-2014 से ओ पी डी/डॉमिसाइल उपचार के लिए वार्षिक सीमा में 15% वृद्धि की जाएगी जैसा कि अनुलग्नक - 1 में दर्शाया गया है ।

(के.के.झा)

सदस्य (मानव संसाधन)

संलग्नक - यथोक्त

आंतरिक वितरण

- अध्यक्ष महोदय/सदस्य (योजना)/सदस्य (ए एन एस)/सदस्य (प्रचालन)/सदस्य (वित्त)/मुख्य सतर्कता अधिकारी /सदस्य (मा.सं) का कार्यालय
- निगमित मुख्यालय/प्रचालन कार्यालयों स्थित सभी विभागाध्यक्ष/का.नि./निदेशक (सुरक्षा)
- मानव संसाधन/प्रशासन निदेशालय के सभी महाप्रबंधक -आर एन एस/ डी जी / आर डी /जे के जी
- महाप्रबंधक ( सूचना प्रौद्योगिकी )- परिपत्र को भाविप्रा वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
- महासचिव ए ए ई यू
- अध्यक्ष /महासचिव : ए ए ओ ए (आई)/ ए सी ओ ए (आई)/ ए टी सी गिल्ड (आई)/भा वि प्रा. इंजी० गिल्ड(आई)/आई ए ए आई ओ ए /भा वि.जा एस सी/एस टी कल्याण संघ

ब्रह्मसिंह

**1-1-2014 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बाह्य रोग उपचार की वार्षिक अधिकतम सीमा**

**गैर-कार्यपालक**

स्तर	1-1-2007 से प्रभावी वेतनमान	मौजूदा वार्षिक सीमा (रु.में)	1-1-2014 से प्रभावी संशोधित वार्षिक सीमा (रु.में)
एनई-1	10200-23000	9000	10350
एनई-2	11000-24500	10000	11500
एनई-3	11500-26000	11000	12650
एनई-4	12500-28500	12000	13800
एनई-5	13400-30500	13000	14950
एनई-6	14500-33500	14000	16100
एनई-7	15000-35500	16000	18400
एनई-8	16000-38900	17000	19550
एनई-9	17000-39500	18000	20700
एनई-10	18500-40000	18000	20700

**कार्यपालक**

स्तर	1-1-2007 से प्रभावी वेतनमान	मौजूदा वार्षिक सीमा (रु.में)	1-1-2014 से प्रभावी संशोधित वार्षिक सीमा (रु.में)
ई-1	16400-40500	18000	20700
ई-2	20600-46500	19000	21850
ई-3	24900-50500	20000	23000
ई-4	29100-54500	22000	25300
ई-5	32900-58000	23000	26450
ई-6	36600-62000	24000	27600
ई-7	43200-66000	25000	28750
ई-8	51300-73000	26000	29900
ई-9	62000-80000	27000	31050
बोर्ड के सदस्य	75000-100000	30000	34500
अध्यक्ष	80000-125000	30000	34500





23 June, 2014

The Regional Executive Director  
Airports Authority of India  
Northern/Western/Eastern/Southern/NER  
Delhi/Mumbai/Kolkata/Chennai/Guwahati

The Executive Director  
RCDU/FIU  
AAI, New Delhi

The Airport Director,  
Airports Authority of India  
Kolkata/Chennai Airport

The Director  
Indian Aviation Academy  
New Delhi

The Principal  
CATC  
Allahabad

The General Manager  
CRSD/E&M Workshop  
AAI, New Delhi

**Corporate H.R.M. Circular No.23/2014**

**Subject: -Revision in annual ceiling on OPD/Domicile  
treatment for retired employees.**

Reference Corporate HRM Circulars No.15/2011 dated 20.4.2011 prescribing annual ceiling on OPD/Domicile treatment for retired employees.

2. The annual ceiling on OPD/Domicile treatment has since been reviewed and it has been decided to enhance the annual ceiling by 15% for OPD/Domicile Medical Treatment with effect from 1.1.2014 as indicated in Annexure -I in respect of retired employees.

(K. K. JHA)  
MEMBER(HR)

Encl:-as above

**Internal distribution:**

- Chairman / Member(Plg)/ (ANS)/ (Ops)/ (Fin)/ CVO/ o/o Member (HR)
- All HODs/ Director (Security)/ EDs at CHQ/ Operational Offices.
- All GMs in HR/ Admn - RNS/ DG/ RD/ JKG/
- GM (IT) - for uploading on the website
- General Secretary, AAEU
- President/General Secretary - AAOA(I)/ACOA(I)/ ATC Guild(I)/ AAI Engg Guild(I)/ IAAIOA/ AAI SC/ST Welfare Association

**Annual ceiling on outdoor treatment for retired  
employees with effect from 1.1.2014**

**Non-Executives**

Level	Pay-scales with effect from 1.1.2007	Existing annual ceiling (in Rs)	Revised annual ceiling with effect from 1.1.2014 (in Rs)
NE-1	10200-23000	9000	10350
NE-2	11000-24500	10000	11500
NE-3	11500-26000	11000	12650
NE-4	12500-28500	12000	13800
NE-5	13400-30500	13000	14950
NE-6	14500-33500	14000	16100
NE-7	15000-35500	16000	18400
NE-8	16000-38900	17000	19550
NE-9	17000-39500	18000	20700
NE-10	18500-40000	18000	20700

**Executives**

Level	Pay-scales with effect from 1.1.2007	Existing annual ceiling (in Rs)	Revised annual ceiling with effect from 1.1.2014 (in Rs)
E-1	16400-40500	18000	20700
E-2	20600-46500	19000	21850
E-3	24900-50500	20000	23000
E-4	29100-54500	22000	25300
E-5	32900-58000	23000	26450
E-6	36600-62000	24000	27600
E-7	43200-66000	25000	28750
E-8	51300-73000	26000	29900
E-9	62000-80000	27000	31050
Board Members	75000-100000	30000	34500
Chairman	80000-125000	30000	34500

